एस डी ओ/ रीडर

28/5/18 पक्षकारान फैसला कोर्ट में पेश हुये। दोनों पक्षों को ता: फैसला बाद स्पष्ट निर्देश से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पक्षकारान फैसला प्राप्त होकर दफ्तर से नकल ले तथा बाद तकमील ओरक्स भण्डार हो। [illegible] बाद हो।